

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना विवरण :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में हलियाडोब लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00 कि०मी० में पड़नेवाली 4.981 हे० वनभूमिकालो 0 नि० वि० को हस्तान्तरण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रधान *duen*
ग्राम पंचायत उणी सिरतोली
वि०ख०:- बेरीनाग
जिला:- पिथौरागढ़

[Signature]
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

[Signature]
ह०
अभियांकी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

ग्रामीण वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

[Signature]